



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225643
CG-DL-E-04032021-225643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 960]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942

No. 960]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

का.आ. 1048(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, तमिल नाडु राज्य में मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की एन्नोर-तिरुवल्लूर-बंगलुरु-पुदुच्चेरी-नागापट्टिनम-मदुरई-तूतीकोरीन पाइपलाइन परियोजना के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री के.एस.ए. मोहम्मद जगीर हुसैन, उप समाहर्ता (भूमि अधिग्रहण), तमिल नाडु सरकार को श्री एस.पी. मधुसूदनन, उप समाहर्ता, तमिल नाडु सरकार के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/77/2018-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2021

S.O. 1048(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri K.S.A. Mohamed Jaghir Hussain, Deputy Collector (Land Acquisition), Government of Tamil Nadu as CA vice Shri S.P. Madhusudanan, Deputy Collector, Government of Tamil Nadu to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Ennore–Thiruvallur–Bengaluru–Puducherry–Nagapattinam–Madurai–Tuticorin Pipeline Project of M/s Indian Oil Corporation Limited in the State of Tamil Nadu.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/77/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.